भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1190

02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

अत्यधिक खनन

1190. डॉ. बंशीलाल महतोः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि कोयला ब्लॉको सहित खान ब्लॉक आबंटन प्राप्त निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का खनन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का अधिक खनन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इसके अतिरिक्त खनन के कारण सरकारी कोष को हुई राजस्व हानि का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) एवं (ख) : भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) (खान मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय) से प्राप्त सूचना के अनुसार खनन योजना/खनन की स्कीम में दर्शाई गई अनंतिम वार्षिक उत्पादन की मात्रा से अधिक अयस्क उत्पादन की कुछ घटनाएं हैं जो निरीक्षणों, विशेषकर वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के संज्ञान में आई हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसी कोई घटनाएं नहीं पाई गई ।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 5(2)(ख) के अनुसार, प्रमुख खनिजों हेतु खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु खनन योजना

आवश्यक है । खनन योजना में अस्थाई खनन स्कीम और पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन हेतु वार्षिक कार्यक्रम के अलावा खनिज भंडारों, भूविज्ञान, लिथोलॉजी, खनन के प्रकार, खनन क्षेत्रों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आदि के संबंध में अन्य आवश्यक ब्यौरे रहते हैं । खनन की अनुमोदित खनन योजना/स्कीम में दर्शाए गए अनंतिम वार्षिक उत्पादन के 20 प्रतिशत तक का विचलन आईबीएम अनुमत करता रहा है । यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि विचलन के संचयी प्रभाव से अनुमोदित अयस्क एवं अतिभार/अपशिष्ट अनुपात न बिगड़े और इसके परिणामस्वरूप विकास कार्य में बड़ी कमी न आए । अधिक अयस्क उत्पादन, जोकि खनन योजना में दर्शाए गए अनंतिम वार्षिक उत्पादन मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक है, को खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (एमसीडीआर) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के संबंध में पाई गई ऐसी घटनाओं का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है ।

(ग) से (ड.) : एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पट्टाधारक, पट्टा क्षेत्र से निकाले या उपभोग किए गए खनिजों के लिए राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान करेगा । राज्य सरकारें, संसूचित किए गए उत्पादित अधिक अयस्क पर रॉयल्टी सहित पट्टा क्षेत्र से उत्खनित अथवा उपभोग किए गए खनिजों के लिए रॉयल्टी वसूल करती हैं । खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (एमसीडीआर) के उल्लंघन के मामले में आईबीएम पट्टाधारकों द्वारा किए जाने वाले खनन कार्यों में सुधार की मांग करते हुए एमसीडीआर नियम 13(1) और नियम 45 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन नोटिस जारी करता है । पट्टाधारकों द्वारा उल्लंघन नोटिस के अनुसार खनन कार्यों में सुधार करने पर नाकाम होने की स्थिति में, भारतीय खान ब्यूरो न्यायालयों में अभियोग चलाता है । खनिकों के अनुमोदित खनन योजना से विचलित होने पर आईबीएम को खनन कार्यों को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है । इस संबंध में, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए निवारक उपायों का विवरण भी अनुबंध-I में संलग्न है ।

*****

अनुबंध-I

वर्ष 2013-14

क्रं . .सं	खनिज	राज्य	पट्टाधारक का नाम	अधिक्य उत्पादन (में .ट .मी)	उल्लंघन तथा जारी कारण बताओं नोटस	सुधारी खनन योजना	निलंबित खनन प्रचालन	रदद करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुत	टिप्पण
.1	लौह अयस्क	राजस्थान	श्रीमती शिखा मोदी की खरोटी धानियां	9900		नहीं	हां	नहीं	शून्य
.2	लौह अयस्क	मध्य प्रदेश	धामकी खानजकोडियां / खनिज	185000	01.12.2014	नहीं	हां	नहीं	में 14-2013 यालय में न्या मुकदमा दर्ज। लय के न्या निर्णय के उपरांत निलंबन समाप्त
.3	लौह अयस्क	तेलांगना राज्य	एलक्ष्मी .नारायण की मल्लमपल्ली खान	प्रस्तावित उत्पादन टन 28608	हां	हां	न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने हेतु में कार्यवाही शुरू	-	शून्य
				प्राप्त उत्पादन टन 39657					
.4	मैग्नीज अयस्क	मध्य प्रदेश	सूर्यवंशम खनन और खनिज प्रा.लि.	440	13.8.2013	नहीं	नहीं	नहीं	में 14-2013 यालय में न्या मुकदमा दर्ज

वर्ष 2014-15

क्रं . .सं	खनिज	राज्य	पट्टाधारक का नाम	अधिक्य उत्पादन (में .ट .मी)	उल्लंघन तथा जारी कारण बताओं नोटस	संशोधन द्वारा सुधारी खनन योजना	निलंबित खनन प्रचालन	रदद करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुत	टिप्पण
.1	लौह अयस्क	राजस्थान	श्रीमती शिखा मोदी की खरोटी धानियां	4786	हां	नहीं	हां	नहीं	
.2	लौह अयस्क	मध्य प्रदेश	धामकी खानशोभा खनिज/	11181	13.1.2014	नहीं	हां	नहीं	में 15-2014 यालय में न्या मुकदमा दर्ज
.3	लौह अयस्क	मध्य प्रदेश	हृदयनगर खानश्रीकांत / पांडे	लेटेराइट) 30656 हेतु(	14.1.2014	नहीं	नहीं	नहीं	में 15-2014 यालय में न्या मुकदमा दर्ज
.4	लौह अयस्क	मध्य प्रदेश	झासी सिलुवाखत्री खनिज / .एवं खनन कं	8978	16.1.2014	नहीं	हां	नहीं	में 15-2014 यालय में न्या मुकदमा दर्ज। लय के न्या निर्णय के उपरांत निलंबन समाप्त
.5	लौह अयस्क	मध्य प्रदेश	गांधीग्राम खानमुकुल / खंपरिया	12067	13.2.2014	नहीं	नहीं	नहीं	में 15-2014 यालय में न्या मुकदमा दर्ज
.6	मैग्नीज अयस्क	तेलांगना	सुरेश अग्रवाल की चंदा खान	प्रस्तावित उत्पादन 5640 टन प्राप्त उत्पादन टल8848	हां	हां	न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने हेतु में कार्यवाही शुरू	लागू नहीं	शून्य

वर्ष 2015-16

क्रं . .सं	खनिज	राज्य	पट्टाधारक का नाम	अधिक्य उत्पादन (में .ट .मी)	उल्लंघन तथा जारी कारण बताओं नोटस	संशोधन द्वारा सुधारी खनन योजना	निलंबित खनन प्रचालन	रदद करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुत	टिप्पण
शून्य									

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो